# (83)

#### FORM-1

(For linear of project)
Government of Uttrakhand
Office of the District Collector, New Tehri

#### TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

#### It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.47 Hectares** of forest area proposed for diverion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s) sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 2.
- (b) The Diversion of forest land for facilties managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.

Encl: As above

Signature

(युगुल किशोर पन्त) (Full name and official seal of the District Collector)

ुटिहरी गढ़वाल

### OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri Yugal Kishor Pant I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in Jakhnidhar Block area measuring 1.47 Hectare for the construction of Kantholi to Nakhri motor road in Tehsil Jakhnidhar of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of Jakhnidhar Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri

Date: 6-12-2014

District Collegetor Cam Chairman
District Take Garhwal
New Take or space

परियोजना का नाम :- प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग नई टिहरी के अन्तर्गत कैंथोली से नैखरी मोटर मार्ग के निर्माण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का वन विभाग को भूमि हस्तान्तरण।

> कार्यालय उपजिलाधिकारी जाखणीधार अनुसचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति टिहरी।

उपखण्ड टिहरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत खण्डोगी आरक्षित वनभूमि 1.47 है0 का वन विभाग प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतू अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील जाखणीधार की दिनांक .1.1.1... 2014) को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्युता) अधिनियम्भ 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री...दुराक्री प्रेक्त किया है। ......उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की

गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

श्री आक्रिका निपार्छ। उपजिलाधिकारी टिहरी -अध्यक्ष ।

उप प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी

प्रहायक समाज कल्याण अधिकारी, जाखणीधार – सदस्य।

सदस्य श्री रहेता होता प्रधान ग्राम पंचायत न्त्रास -

उपखण्ड सविव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए स्माजिसाधिकारी की अनुमित से बैदक की किलियाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों की अवगत कराया गया है कि कैंथोली से नैखरी मीटर मार्ग के निर्माण परियोजना हेतु 1.47 हैं। वनभूमि वन विभाग प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव मा० सदस्यों के समक्ष रखाँ गया। ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सबन्धित ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है 🕥

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधाकारी......हारा अनुसूचित जनजाति एव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम / पंचायत द्वारा आपत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड टिहरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत केंथोली से नैखरी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.47 है0 वन भूमि वन विभाग एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर हस्तान्तरित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

> उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील जाखणीधार टिहरी गढवाल

जिलाधिकारी टिहरी गढवाल नई टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि-

> उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील जाखणीधार टिहरी गढवाल

#### प्रपत्र -23

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

# वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र


#### अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 1.05 है0, सिविल सोयम भूमि 0.42 है0 एवं वन पंचायत भूमि 0.00 है0) अर्थात कुल 1.47 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत का दिनांक कर गागि को सम्नन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गेर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कारान्त. के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



जीता की हस्ताक्षर प्रधान

नोट :— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

जक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

> पान्तीय खण्ड लोठ विक नई टिडंपी

जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत केंथोली से नैखरी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में प्रधान ग्राम पंचायत की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक की बैठक देन की बैठक दिनांक की की बैठक दिनांक की बैठक दिनांक की बैठक दिनांक की बैठक दिनांक की

आज दिनांक ०५ ना ना को ग्राम पंचायत कि है की बैठक में कैंथोली से नैखरी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु अनापित दिये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसमें सर्वसम्मित से प्रस्ताव पास हुआ कि इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति या आदिवासी निवास नहीं करते है। इनके द्वारा क्षेत्र में किसी प्रकार की भूमि पर कृषि कार्य भी नहीं किया जाता है। इस क्षेत्र में कोई इस प्रकार के निवासी नहीं है जो वनों में निवास करते हो। इस सडक निर्माण से अनुसूचित जनजाति या आदिवासी वन निवासी के हित किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रहे है।

सर्वसम्मित से सरकार से इस क्षेत्र के विकास हेतु कैंथोली से नैखरी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु अनापित्त दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

> प्रधान ग्राम पंचायत



## प्रपत्र -23.01

# दिनांक .0.5.11.14...को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

# ग्राम पंचायत का नाम :- किर्नाम् तहसील – जाखणीधार, जिला – टिहरी गढ़वाल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	9-49 हिंच पंवाद	Backer Sigh
(2)	-112140/ PE YOIL	of Rome Vix
3	2521 3 41E2114	Runt -
4	काजायानं छिट्ट पंचार	BSJami
3	9-47 सिंह है। है।	Ahoj.
6	उमेद । मिंह पंचार	lemmedlsi vo
<b>(E)</b>	मुनि हिंद पंजा	37/142
(3)	3-11-16 किट पंचा	2110/3/4
9	G-4(10E9ail	पुन्मा छन्न
16	दुवेन्द्र । क्ट्र पंचा	piskim
	Mod 34182119	3/2
(12)	उन्हा मिर् पवार	3-2-120
(13)	BOYET GITT STORE KINNE	
(14)	मिन्न ६। स	Fare
(15)	EINOS PUE TITILI COS CITO MO EZA GE TITILE	वाम प्रशासन के
(16)		The share of the same of the s
(15)	Eviago Ball Carling	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1